गिरफ्तारी के संबंध में विधिक स्थिति, पूछताछ की विधिया एवं मानवाधिकार

किसी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है:–

<u>पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी किये जाने पर निम्न प्रावधान है:–</u>

- ➢**धारा 41**– पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट गिरफ्तारी
- ➢**धारा 42**– पुलिस अधिकारी द्वारा असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी
- ➢**धारा 151**– संज्ञेय अपराध की तैयारी किये जाने पर ऐसे अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी
- ➢**धारा 157**– अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी
- ➢**धारा 170**– आरोप पत्र न्यायालय भेजने पर गिरफ्तारी
- ➢ **धारा 46**– गिरफ्तारी कैसे की जायेगी
- ➢ **धारा 48**– पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट गिरफ्तारी भारत में कही भी की जा सकती है।

धारा 43 जनता के व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारीः— किसी जनता के व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी उस समय की जा सकती है जब उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध किया जाता है या वह उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी गिरफ्तारी पर जनता का व्यक्ति उस व्यक्ति को सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के समझ या थानें पर ले जायेगा और ऐसे पुलिस अधिकारी के समझ ले जाने पर यदि मामला धारा 41 के अन्तर्गत आता है तो वह पुलिस अधिकारी उसे पुनः गिरफ्तार करेगें। यह प्रावधान पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 151 में भी किया गया है। असंज्ञेय अपराध में धारा 42 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे तत्काल छोड़ देगा।

धारा 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारीः— किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जा सकता है जब वह व्यक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी उपस्थिति में कोई अपराध करता है।

गिरफ्तारी के बारे में अन्य बातें–

1. धारा 50– गिरफ्तारी पर आधार एवं कारण बताये जायेगें।

2. धारा 57– गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पे”ा करना आवश्यक होगा।

मानावधिकारः–

उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में निर्देशः–

डी0के0 बसु बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य 1997(35) एसीसी 437 में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये हैः–

1– गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी स्पष्ट पहचान दर्शित करेगा।

2– ऐसा पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जिस पर कम से कम एक निष्पक्ष साक्षी के एवं गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये जायेगे।

3– गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के संबंध में सूचना उसके रिश्तेदार या नामित व्यक्ति को दी जायेगी।

4– जिले से बाहर का निवासी होने की स्थिति में गिरफ्तारी के आठ से बारह घन्टें के अन्दर विधिक सहायता संगठन या सम्बन्धित थाने के माध्यम से उसके मित्र या रिश्तेदार को सूचना दी जायेगी।

5– गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारें में जानकारी दी जायेगी।

6– गिरफ्तारी के संबंध में सूचना किसे दी गई इसकी प्रविष्टि थानें की डायरी में की जायेगी।

7– गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने पर उसके शरीर की परीक्षा कर एक ज्ञापन तैयार किया जायेगा, जिस पर पुलिस अधिकारी एवं गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होगें।

8– हर 48 घन्टें पर गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सकों के पैनल द्वारा मैडिकल परीक्षण किया जायेगा।

9– मैमों (ज्ञापन) सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत की जायेगी।

10– गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जायेगी यद्यपि यह सम्पूर्ण पूछताछ के दौरान नही होगी।

11– सभी जनपद मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष पर गिरफ्तारी के संबंध में विवरण सूचना पट्टिका पर दर्शित किया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं वह न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने जोगेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1994 एससी 1359 में निर्देशित किया है कि हर मामले में गिरफ्तारी नही की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का कोई युक्त–युक्त औचित्य होना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक और न्यायानुमति थी जघन्य अपराधों को छोड़कर गिरफ्तारी से बचना चाहिए।

किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी एवं पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति से हिंसा एवं बल प्रयोग की अनुमति कोई कानून नहीं देता। इस संबंध में निम्न विधिक प्राविधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।

1– धारा 160 द0प्र0सं0

2– धारा 161(2) द0प्र0सं0 के अर्न्तगत निर्देश।

3– संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अर्न्तगत निर्देश

4– धारा 162 द0प्र0सं0

5– धारा 163 द0प्र0सं0

6– भा0साक्ष्य अधि0 की धारा 24, 25, 26

7– भा0द0सं0 की धारा 330 एवं धारा 331
8– पुलिस अधिनियम की धारा 29

प्रत्येक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय सम्वेदनशीलता का परिचय दिया जाना चाहिए।

महिलाओं एवं किशोरों की गिरफ्तारी के सबंध में–

1. महिलाओं की गिरफ्तारी करते समय उनकी शालीनता एवं शिष्टता का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निर्देश द0प्र0सं0 की धारा 46 एवं 51 में दिये गये है।

2. किशोरों की गिरफ्तारी के सबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम 2000 के प्राविधान के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।